


न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, धौद, मु. २

किशोर कुमार खारिया बनाम कुलदीप आदि

किसम मुकदमा प्रौ. पत्र २१२ मु. नं. ६२ वर्ष २०२५

दिनांक	आज्ञा-पत्र
13/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वार्धी उपस्थित। वकील वार्धी के प्रतिवर्षिक (७) तलबे बाबत सम्बन्ध तलबाना जयि एकि गठ ले पेश कले बाबत कपतर-वाहा कतः एष बाबत कवफर दिया जाकर पत्रावली बरहते तलबी जयि एकि गठ सहित आवभक्त रूप के सिमं १४/१० को पेश हो।
२४ ^{००} / _{२५}	पत्रावली पेश हुई। वकील वार्धी उपस्थित। पत्रावली बाबत तलबी जयि एकि गठ सहित आवभक्त रूप के सिमं ११ ^{११} / _{२५} को पेश हो।
११ ^{११} / _{२५}	पत्रावली पेश हुई। वकील वार्धी उपस्थित। पत्रावली बाबत तलबी जयि एकि गठ सहित आवभक्त रूप के सिमं १५ ^{११} / _{२५} को पेश हो।
१५ ^{११} / _{२५}	पत्रावली पेश हुई। वकील वार्धी व गार्धी एमं अनु.। वकील वार्धी व गार्धी एमं को कप-बाड आवभक्त कववाई गई। उक्त के बाबत-यायलम समय में एमं काल तक भी वकील वार्धी व गार्धी एमं में से कोई भी उपस्थित नहीं होने पर पत्रावली इसी एतद पर अधम पैरमी/इफम हाजिरी में खारिज किज जान के आडिब डिमं जात हं। पत्रावली कंलाल शुमाड लोकड एकि गठ तकमील हाखिल कपतर हो।



उपस्थित अधिकारी
धौद जिला-सीकर